

15

पंजीर्ण

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

2017-18

वर्तमान धारित पद

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

3. वर्तमान वेतन

उस तिथि, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें वर्तमान स्थिति है	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	संपत्ति से वार्षिक आय
	संपत्ति का नाम तथा स्थिति	पूजि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>मिले</p>						

* वहां लगान न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगानों पर मूल्य आकलन करे।

*** स्वयं अचलवाली पट्टा भी दर्शाए जायें।

**** मध्यम-श्रेणी के मालिकों (अचल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के मालिकों को प्रत्येक वर्ष का मूल्य निर्धारण करने और अर्जित है कि वह सेवा में पड़ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साल मूल्य का निर्धारण करे।

उसमें वह उनके स्वामित्व की सेवा उससे जो अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उन्हें अपने नाम पर के अर्जित कर के अर्जित की जायें।

यदि या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा या मकान पर पट्टा जारी धारित सम्पत्ति आकलन काप्यो के तहत है।

हस्ताक्षर
 नाम: मोहम्मद अली
 पद: अध्यक्ष

दिनांक: 20/11/2018